

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 25.08.2023

महिला के वाट्सएप्प पर अश्लील मैसेज भेजने व धमकी देने के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा महिला सम्बंधी अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के नेतृत्व में उ0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 395/2023 धारा 354डी,507 भादसं0 से सम्बंधित 02 अभियुक्तो 1. मनीष साहनी पुत्र लक्ष्मण साहनी निवासी भुईंघरपुर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर 2. अरविन्द यादव पुत्र रामरूप यादव निवासी बढया चौक थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

1. मनीष साहनी पुत्र लक्ष्मण साहनी निवासी भुईंघरपुर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
 - I. मु0अ0सं0 395/2023 धारा 354डी,507 भादसं0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
 - II. मु0अ0सं0 358/2022 धारा 406,420,506 भाद0सं0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. अरविन्द यादव पुत्र रामरूप यादव निवासी बढया चौक थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
मु0अ0सं0 395/2023 धारा 354डी,507 भादसं0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोबाइल

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. का0 मनीष यादव थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
3. का0संजीत शाह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर